

कार्यालय: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला

जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर जिला

(फोन: 0291-2943451; हेल्पलाईन : 8306002129; ई-मेल आईडी: dlsa24jodhpurdistrict@gmail.com)

क्रमांक : जिविसेप्रा/स्था./संविदा सेवा/2024-2025/02

दिनांक : 01.03.2024

—: विज्ञप्ति :—

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक एफ-7 (136)रालसा /संस्था/संविदा सेवा-वाहन/2023/101 दिनांक 27.02.2024 द्वारा राजस्थान सरकार, विधि विभाग की आज्ञा संख्या पं.08(1)विधि-2/विरसं(64)/2015 पार्ट II दिनांक 14.02.2024 के द्वारा कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला हेतु प्राप्त अनुमति के क्रम में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 10 रिक्त पदों (जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला कार्यालय हेतु जिला मुख्यालय पर 05 एवं तालुका विधिक सेवा समिति यथा फलौदी, बिलाड़ा, ओसियां, पीपाड़ व बालेसर हेतु 01-01, कुल 10) के विरुद्ध संविदा सेवा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-2025 (दिनांक 01.04.2024 से 28.02.2025 तक) अथवा नियमित भर्ती होने तक, जो भी पूर्व में हो, के लिए कर्मचारी की आवश्यकता है। अतः कार्मिक विभाग के परिपत्र सं0एफ.17(10)डीओपी/ए-II /94 दिनांक 08.02.2018 एवं 14.11.2018 से जारी दिशा निर्देशों के अन्तर्गत राज्य सरकार से सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जिन्होंने 65 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है अथवा विपरीत प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने के इच्छुक कर्मचारी, अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 15. 03.2024 सांय 05:00 बजे तक इस कार्यालय को प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन प्रपत्र इस कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है अथवा इस न्यायक्षेत्र की वेबसाईट <http://jodhpur.dcourts.gov.in/> से डाउनलोड किया जा सकता है।

—

(निहाल चन्द)

सचिव,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
जोधपुर जिला।

क्रमांक : जिविसेप्रा/स्था./संविदा सेवा/2024-2025/1-21

दिनांक : 01.03.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:

1. श्रीमान् सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जोधपुर महानगर/जोधपुर जिला।
3. श्रीमान् सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर।
4. श्रीमान् जिला कलेक्टर, जोधपुर/फलौदी।
5. श्रीमान् अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, फलौदी/बिलाड़ा/ओसियां/पीपाड़/ बालेसर।
6. श्रीमान् सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, बाप/भोपालगढ़/लोहावट।
7. श्रीमान् जिला नियोजन अधिकारी, जोधपुर।
8. श्रीमान् कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जोधपुर शहर/ग्रामीण।
9. श्रीमान् जिला जन सम्पर्क अधिकारी, जोधपुर।
10. श्रीमान् प्रभारी अधिकारी, पेंशन कार्यालय, जोधपुर।
11. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, जोधपुर जिला (विज्ञप्ति वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत)
12. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।


01.03.2024

(निहाल चन्द)

सचिव,

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
जोधपुर जिला।

कार्यालय:- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर जिला

(राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्ध में संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिये)

आवेदन पत्र

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम :-
2. पिता/पति का नाम :-
3. जन्म तिथि:-
4. पता मय मोबाईल नम्बर :-
5. आयु (दिनांक 31.03. 2024):- वर्ष माह दिन
6. शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हताएं :-
7. मूल विभाग का नाम :-
8. सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद :-
9. अनुभव :-
10. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन, ग्रेड पे) एलपीसी संलग्न करें।
11. मूल पेंशन राशि (पीपीओ की प्रति संलग्न करें।)
12. धारित पद का वेतनमान (सेवानिवृत्ति के समय)
13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार)

(हस्ताक्षर मय दिनांक)

सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिये वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बंधनों और शर्तों के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बंधनों और शर्तों को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

दिनांक :-

स्थान :-

हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष का प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु संख्या 1 से 13 तक तथ्य सत्य पाये गये हैं और श्री/श्रीमती पुत्र/पत्नी
. जो सेवानिवृत्ति से पूर्व पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के सम्बन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती
. की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबन्ध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय श्री/श्रीमती
. रुपये मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बैंड, ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती
. अधिवार्षिक आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और श्री/श्रीमती
. के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लम्बित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरुद्ध ली जा रही हैं, उससे किसी प्रकार से नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
मय सील